राजस्व अपील संख्या 34 / 2020

के०कायमु० अनवान

लूकमान बनाम अब्दुल सत्तार वगैरा

दिनांक 25—4—2022

पत्रावली आज पेश हुई । वकील अपीलांट ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र बाबत अपील को जरिये विड्रॉ खारीज किये जाने बाबत प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलार्थीगण लुकमान के कायम मुकाम उक्त अपील को आगे चलाना नही चाहते है अतः उक्त अपील को जरिये विड्रो खारीज करने का निवेदन किया ।

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार है कि उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा राजस्व अपील संख्या 9 / 2005 अनवान लूकमान बनाम अब्दुल सत्तार वगैरा मे पारित आदेश दिनांक 20—12—;2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी जो इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 13—11—2006 के द्वारा स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 416 एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर का आदेश दिनांक 20—12—2005 को निरस्त कर दिये जाने पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान मे प्रस्तुत निगरानी आंशिक स्वीकार कर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13—11—2006 निरस्त कर प्रकरण उभयपक्ष की सुनवाई के बाद दो माह मे सर्वप्रथम मयाद के बिन्दु को तय करने के बाद ही प्रकरण का मेरिट पर निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाने पर उक्त अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपील सुनवाई मे चल रही है ।

चूँकि वकील अपीलांट श्री लाधूराम पूनिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जिस पर अपीलांट लुकमान के कायम मुकामात के अंगुठा निशानात आदि किये हुए है, जिसमे वे अब इस अपील को आगे नही चलाना चाहते है । ऐसी स्थिति मे वकील अेपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत उक्त अपील जरिये विड्रोल के खारीज की जाती है । पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जाये । प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया जायें ।

अति० सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर